न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 50/2020 राजस्व अपील

1. विजय पुत्र कानजी
2. लक्ष्मण पुत्र कानजी

जाति माली निवासी राणोली तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

<u>अपीलान्ट्स</u>

<u>बनाम</u>

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 16.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम विजय वगैराह मु. नं. 55/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 24.06.2024

:— निर्णय :—

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.30 है. किस्म चरागाह वाके रामा राणोली तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा में स्थित है, जिसका स्वरूप चरागाह जैसा नहीं रहा है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त नहीं है। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 16.08.2018 पारित कर कब्जाशुदा आराजी से अपीलान्ट्स को बेदखल करने एवं शास्ति आरोति कर फसल नीलामी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2018 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त भूमि अपीलान्ट्स का कोई कब्जा नहीं होने के बावजदू भी पटवारी हल्का द्वारा झूंठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुये यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अपीलान्ट्स ने खसरा नम्बर [illegible] 0.30 है. भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं उक्त भूमि पर [illegible] नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.08.2018 निरस्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:02:04 IST
Reason: SelfAttested

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का राणोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स ने सम्वत 2075 में ग्राम राणोली स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.30 है. में से 0.01 है. पर आवास बनाकर एवं 0.29 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में बेदखलीनामा एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट भी संलग्न है। अपीलान्ट्स ने राजकीय चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण किया हुआ है। जिस पर अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 16.08.2018 पारित कर अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स ने खसरा नम्बर 169 रकबा 0.30 है. भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं उक्त भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 16.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:02:04 IST
Reason: SelfAttested